जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, उत्तराखण्ड
के
अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्तव्य
(The powers and duties of officers and employees)

निदेशक, जड़ी– बूटी शोध एवं विकास संस्थान, मण्डल–गोपेश्वर (चमोली) उत्तराखण्ड को विभागाध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियॉ निहित है। साथ ही 03 जनपद समन्वयकों के कार्यालयों यथा जनपद समन्वयक, कार्यालय चमोली, जनपद समन्वयक कार्यालय, विकास भवन, पिथौरागढ, जनपद समन्वयक कार्यालय, मनेरा, उत्तरकाशी एवं 02 उपकेन्द्र यथा संस्थान उप–केन्द्र, कपकोट, बागेश्वर, संस्थान उपकेन्द्र, सेम–मुखेम, टिहरी गढवाल के संचालन हेतु सम्बन्धित जिला समन्वयकों वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन किये गये है। इसी के अनुरूप कर्मचारियों को वेतन आदि के साथ–साथ विभिन्न कार्यो का भुगतान किया जाता है कर्मचारियों को जनपद स्तर पर भौतिक लक्ष्यों का आवंटन किया जाता है जिसकी पूर्ति हेतु प्रत्येक जनपद हेतु समन्वयक नियुक्त किये गये है। जनपद समन्वयकों द्वारा जड़ी बूटी से संबंधित विभिन्न कार्यो को बढ़ावा देने हेतु समय–समय पर निरीक्षण एवं विभिन्न विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारियों से विचार विमर्श किया जाता है। औषधीय पादपों के शोध एवं विकास हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मुख्य कर्तव्य निम्नवत हैंः–

- औषधीय पादपों पर शोध, विकास एवं प्रचार प्रसार सम्बन्धी कार्य करना।
- प्रदेश में कृषकों को औषधीय पादपों के कृषिकरण के लिए जागरूक करना।
- सरकार की औषधीय पादपों से सम्बन्धित कृषिकरण, विदोहन तथा विपणन योजनाओं के माध्यम से कृषकों की क्षमता का विकास करना।
- कृषकों द्वारा उत्पादित औषधीय पादपों मे उपलब्ध सक्रिय तत्वों का आंकलन सम्बन्धी कार्य।
- उत्तराखण्ड सरकार की नीतयों के अनुरूप समय–समय पर यथा आवश्यक रूप से कृषकों को तथ्यात्मक एवं स्थलीय प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करन।
- औषधीय पादपों का उत्पादन कर रहे कृषकों को अच्छी कृषिकरण पद्धति (Good Agricultural Practices), उचित एकत्रीकरण तकनीकी एवं सत्त विदोहन विधियों पर भी प्रशिक्षण प्रदान करना।
- उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरान्त राज्य सरकार की नीति के अनुरूप चयनित 26 प्रजातियों, जैसे अतीस, कूठ, कुटकी, जटामांसी, चिरायता, वनककडी, फरण, कालाजीरा, पाइरेथ्रम, तगर, मंजीठ, बडी इलायची, कोलियस, रोजमैरी, जिरेनियम, सर्पगन्धा, कलिहारी, सतावर, लेमनग्रास, कैमोमाइल, सिलीबम, स्टीविया, पिपली, मण्डूकपर्णी/ब्राहमी, अमीमेजस एवं

तिलपुष्पी पर अधिकतम तीन नाली तक निःशुल्क बीज–पौध प्रदान किया जाता है। बीज पौध प्रदान करने का उद्देश्य प्रोत्साहनात्मक कृषिकरण एवं प्रदेश में संकटग्रस्त प्रजातियों के कृषिकरण को बढावा देना है।

- औषधीय पादपों के कृषिकरण कर रहे कृषकों का निःशुल्क पंजीकरण किया जाता है।
- पंजीकरण में वर्णित उत्पाद की अनुमानित मात्रा के अनुसार, संस्थान की सहयोगी संस्था भेषज विकास इकाई उत्तराखण्ड के माध्यम से रवन्ना (Transit Pass) निर्गत करवाना।
- प्रदेश से उत्पादित औषधीय पादपों के निर्यात की लिए उत्तराखण्ड वन विभाग, भेषज विकास इकाई उत्तराखण्ड तथा जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन के उपरान्त सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से वैधानिक उत्पादन प्रमाण पत्र (Legal Production Certificate) /वैधानिक खरीद प्रमाण पत्र (Legal Procurement Certificate) /वैधानिक परिग्रह प्रमाण पत्र (Legal Possession Certificate) निर्गत/जारी करना।
- प्रदेश में विभिन्न भौगोलिक एवं जलवायु आधारित क्षेत्रों में औषधीय पादपों के कृषिकरण, संरक्षण एवं विपणन को बढावा देना।